2019/00068

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी यशपाल आहूजा(आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सवाईसिंह पुत्र पृथ्वीराजसिंह 2. रेवन्तसिंह पुत्र पृथ्वीराजसिंह 3. पुखराजसिंह पुत्र पृथ्वीराजसिंह जाति – राजपुरोहित निवासी – बावडीकलां तहसील – फलोदी		1. भंवरसिंह पुत्र श्री खेतसिंह 2. हड़मानसिंह पुत्र श्री खेतसिंह फौत के उत्तराधिकारी एवं वारीसान 2(i) कानसिंह पुत्र हड़मानसिंह 2(ii) गीता पत्नि श्री हड़मानसिंह 2(iii) श्रवणसिंह पुत्र हड़मानसिंह 2(iv) सुआ पुत्र श्री हड़मानसिंह 2(v) भगवती पुत्र श्री हड़मानसिंह 2(vi) पार्वती पुत्र श्री हड़मानसिंह 2(vii) हवा पुत्र श्री हड़मानसिंह 3. बाबूसिंह पुत्र श्री खेतसिंह जाति – राजपुरोहित निवासी – बावड़ीकलां तहसील – फलोदी. 4. एस.बी.आई. शाखा प्रबंधक फलोदी 5. तहसीलदार फलोदी

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 19/2019

उपस्थित :–

वादी की और से अधिवक्ता प्रवीणसिंह राठौड़, भुपेन्द्रसिंह राजपुरोहित उपस्थित

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 03–12–2019

वादी के वाद का सारांष इस प्रकार हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 112 रकबा 7.10 बीघा, खसरा नम्बर 84 रकबा 136.15 बीघा भूमि सरहद मौजा ग्राम बावड़ी में से बावड़ीखुर्द व बावड़ीकलां दो राजस्व ग्राम अलग अलग बनने पर उक्त भूमि वर्तमान में ग्राम बावड़ीखुर्द की सीमा में स्थित है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट पृथ्वीराजसिंह पुत्र चुन्नीलालसिंह 1/2 हिस्सा और खेतसिंह, मिश्रीलाल पुत्र हेमसिंह 1/2 हिस्सा अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। पृथ्वीराजसिंह, खेतसिंह, मिश्रीलाल तीनो फौत हो चुके हैं जिनकी वंषावली दावा के पैरा संख्या 01 में दर्षायी गई। वंषावली अनुसार 1/2 हिस्सा वादीगण का, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का और 1/4 हिस्सा मिश्रीलाल पुत्र हेमसिंह का था मिश्रीलाल ने अपने 1/4 हिस्से की उक्त भूमि अपने जीवनकाल में वादीगण को स्टाम्प पर मौजीज व्यक्तियों के रूबरू वसीयत कर दी थी और मिश्रीलाल 11–07–2009 को फौत हो गये उनके फौत होने पर उनके 1/4 हिस्से की उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 108 मौजा बावड़ीखुर्द के जरिये वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई इसलिये अब उक्त भूमि में 3/4 हिस्सा वादीगण का और 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का है। इसी अनुसार ही उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और इसी अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का हक है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने उक्त भूमि का सम्मवत 2065 की आखातीज को आपसी सहमती से

सहायक कलेक्टर
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

बंटवाडा निम्न प्रकार से कर लिया था वादीगण के बंट में उक्त भूमि खसरा नम्बर 84 रकबा 136 15 बीघा मे से 102.11 बीघा, खसरा नम्बर 112 रकबा 7.10 बीघा में से 5.13 बीघा 3/4 हिस्से अनुसार रखी गई थी। तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के बंट में उक्त भूमि खसरा नम्बर 84 रकबा 136.15 बीघा मे से 34.04 बीघा, खसरा नम्बर 112 रकबा 7.10 बीघा में से 1.17 बीघा उनके 1/4 हिस्से अनुसार रखी गई थी। इसी अनुसार ही उक्त भूमि में कब्जा मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का आज दिन तक लगातार शांति पूर्वक अलग अलग चला आ रहा है। वादीगण के 3/4 हिस्से की बंट की उक्त भूमि में मौके पर वादीगण की रहवासीय ढाणी पानी के टांके वगैरा बना हुआ है और अपने बंट की उक्त भूमि के चारो और खुंटे रोपकर तारबंदी व कांटो की बाड़ की हुई है। उक्त ढाणी में वादीगण अपने बाल बच्चो सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है और अपने बंट की उक्त भूमि में आज दिन लगातार हर वर्ष काश्त प्राकृतिक पैदावार का उपयोग उपभोग लेते आ रहे है। वादीगण ने अपने बंट की उक्त भूमि समतल करवाकर आधुनिक तरीको से काष्त हेतु उपयोगी बनाई है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 सभी एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य और आपस में काको बढ़ो के भाई है उन्होने किसी ने भी उपरोक्त बंटवाड़े अनुसार चले आ रहे एक दूसरे के शांति पूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही की लेकिन पिछले कुछ समय से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के आपसी तालुकात पहले जैसे अच्छे नही होने के कारण और उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने की वजह से एवं अभी जमीनों की कीमते अत्यधिक बढ़ जाने से प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 की नियत खराब हो गई है वे वादीगण के बंट की उक्त भूमि से वादीगण को जोर जबरदस्ती बेदखल करने व वादीगण के बंट की भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करने पर उतारू है। जिसका उनहे कोई अधिकार प्राप्त नही है अपने इसे नापाक ईरादे से अभी दिनांक 20–12–2018 को वादीगण अपने बंट की उक्त भूमि में तारबंदी कर रहे थे कि प्रतिवादी संख्या 01 से 03 हाथो में लाठीया लेकर हमलावर होकर वादीगण के बंट की उक्त भूमि में आये एवं वादीगण को जमीन का कब्जा छोड़ने का कहा व वादीगण के बंट की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की उस दिन तो वादीगण ने उन्हे समझा बुझाकर निकाल दिया लेकिन जाते वक्त प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 ने वादीगण को धमकी दी कि हम तुम्हे इस जमीन से बेंदखल करके ही रहेंगे। इसलिये वादीगण के बंट की उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के साथ सामलाती दर्ज रहते वादीगण का अपने बंट की भूमि में काष्त करना कठिन हो गया है इसलिये वादीगण दावेदार है वे पूर्व में सम्मवत 2065 की आखातीज को आपसी सहमती से हुए बंटवाड़े अनुसार उक्त भूमि का बंटवाड़ा करवाकर अपने बंट की भूमि राजस्व रेकर्ड में अपने नाम से अलग से अमल दरामद करवाकर बंटवाड़ा करवाना चाहता है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से सम्न भेजा गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण को भेजे गये सम्मन की रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे पेश की गई। पेशी तारीख पर वादी अधिवक्ता उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 04 उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 05 उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 की और से कोई उपस्थित नही होने पर आवाजे लगाई गई लेकिन कोई उपस्थित नही होने पर एकातरफा कार्यवाही की गई। जाती है। हुआ। पत्रावली बहस रखी गई।प्रतिवदीगण संख्या 05 सरकारी पैरोकार तहसीलदार फलोदी व प्रतिवादीगण संख्या 04 के अधिवक्ता ने उपस्थिति होकर अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है और वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार बंटवाड़ा गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित है।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादी के संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम बावड़ीखुर्द खसरा नम्बर 84 रकबा 136.15 बीघा मे से 102.11 बीघा, खसरा नम्बर 112 रकबा 7.10 बीघा में से 5.13 बीघा 3/4 हिस्से अनुसार वादीगण के बंट

सहायक कलेक्टर
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

में रखी गई थी तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के बंट में उक्त भूमि खसरा नम्बर 84 रकबा 136.15 बीघा मे से 34.04 बीघा, खसरा नम्बर 112 रकबा 7.10 बीघा में से 1.17 बीघा उनके 1/4 हिस्से अनुसार बंट में रखी थी लेकिन अभी प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 द्वारा वादीगण के बंट की उक्त भूमि से वादीगण को जोर जबरदस्ती बेदखल करने व वादीगण के बंट की भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करने पर उतारू हैं इसलिये वादीगण के बंट की उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के साथ सामलाती दर्ज रहते वादीगण का अपने बंट की भूमि में काष्त करना कठिन हो गया है इसलिये वादीगण बंटवाड़ा करवाकर अपने बंट की भूमि राजस्व रेकर्ड में अपने नाम से अलग से अमल दरामद करवाना चाहते है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी व राजस्व नक्शा का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 328 रकबा 15.09 बीघा, खसरा नम्बर 437 रकबा 11.15 बीघा, खसरा नम्बर 465 रकबा 2.14 बीघा, खसरा नम्बर 585 रकबा 7.14 बीघा, खसरा नम्बर 598 रकबा 5.04 बीघा, खसर नम्बर 601 रकबा 7.00 बीघा व खसरा नम्बर 643 रकबा 26 बीघा कुल रकबा 75.16 बीघा सरहद मौजा बावड़ीकलां के राजस्व रेकर्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के नाम राजस्व में दर्ज है एवं उक्त भूमि में उपरोक्त हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 का हिस्सा है। प्रतिवदीगण संख्या 4 व 5 ने भी वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त वादग्रस्त भूमि का उनके हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किये जाने का निवेदन किया है। वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त भूमि में रेकर्डेड खातेदार है इसलिये वादी अपने हिस्से की कब्जा काश्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस में बंटवाड़ा करवाने के जायज हकदार हैं। वादी ने अपना वाद दस्तावेजात से साबित किया है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर दिनांक 10–06–2019 को प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस में बंटवाड़ा किये जाने का आदेश तहसीलदार फलोदी को उक्त भूमि का विभाजना प्रस्ताव तैयार कर सभी खातेदारो के हिस्से अनुसार तैयार कर अलग अलग कलर में नजरी नक्शा में दर्शाते हुए दो प्रतियों में न्यायालय में पेश करने का आदेश जारी किया गया।

तहसीलदार फलोदी द्वारा माफिक निर्णय आदेश विभाजना प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया, न्यायालय में पेश करने पर शामिल मिशल किया गया। विभाजना प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सूनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 की सामाली खातेदारी अधिकारो की भूमि खेत खसरा संख्या नम्बर 84 रकबा 136.15 बीघा, खसरा नम्बर 112 रकबा 7.10 बीघा कुल रकबा 144.05 बीघा ग्राम बावड़ीखुर्द पटवार सर्कल बावड़ीकलां के बंटवाड़े हेतु वाद माननीय न्ययालय में पेश किया गया जिस पर माननीय द्वारा दिनांक 10–06–2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार फलोदी मय पटवारी द्वारा दिनांक 09.09.2019 को मौके पर जाकर मौका व रेकर्ड अनुसार बंटवाड़े का विभाजना प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 का हक व हिस्सा एवं कब्जा काश्त है। वादी अधिवक्ता ने अपनी अन्तिम बहस में निवेदन किया कि विभाजना प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिर्पोट अनुसार वाद अंतिम डिक्री फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व विभाजना प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10–06–2019 को बंटवाड़े का यह वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई इसी

सहायक कलेक्टर
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

अनुसार तहसीलदार फलोदी द्वारा मौके व रेकर्ड अनुसार विभाजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जो स्वीकार योग्य होने से वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिकी जाता हैं कि ग्राम बावड़ीखुर्द पटवार सर्कल बावड़ीकलां के खेत खसरा संख्या 84 रकबा 136.15 बीघा में से 102.11 बीघा व खसरा नम्बर 112 रकबा 7.10 बीघा में से रकबा 5.13 बीघा भूमि वादीगण के बंट में व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के बंट में खेत खसरा संख्या 84 रकबा 136.15 बीघा में से 34.04 बीघा व खसरा नम्बर 112 रकबा 7.10 बीघा में से रकबा 1.17 बीघा भूमि का बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस में संलग्न विभाजना प्रस्ताव अनुसार करने का आदेश जारी किया जाता हैं तथा तहसीलदार फलोदी इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। विभाजना प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुसार माफिक अंतिम डिकी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03—12—2019 को सरे इज्लास सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा आर0ए0एस0)
सहायक कुलेक्टर
फलोदी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.01.08 14:41:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: